

## न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास - श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 88/2017

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोजेन्ट

सुगनाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट  
निवासी टेहला तहसील रियाबडी।

उप तहसीलदार भैरुन्दा।

उपस्थिति :-

1. श्री धर्मराम खुडखुडिया अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 25.02.20

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, भैरुन्दा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 38/2017 (62/17) सरकार बनाम सुगनाराम में निर्णय दिनांक 01.11.17 के तहत मौजा डोडियाणा के खसरा नं. 1529 गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.11.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.11.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में उप तहसीलदार भैरुन्दा के प्रकरण सं. 38/17 (62/17) सरकार बनाम अमराराम मे पारित निर्णय दिनांक 01.11.17 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोजेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)-आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध, त्रुटिपूर्वक, मौके से विपरीत तथा गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर अनुचित व बिना साक्ष्य लिये भूमाप किये, त्रुटिपूर्वक पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(II)-पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा न तो खसरा नं. 1529 की पूर्वी पश्चिमी सीमा का भू माप किया न ही नये पुराने नक्शे से स्थायी मुटाम अथवा सीमा के मुटाम की सीमा से नाप चोप किया। न ही नोटिस के साथ अतिक्रमित भूमि का नक्शा ही दिया, ऐसी स्थिति मे आदेश जैर बेदखली त्रुटिपूर्वक है। जो निरस्तनीय है।

{2}(III)-अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस दिये जाने पर अपीलान्ट/गेरसायल ने लिखित जवाब दिया, गेर सायल को शहादत सबूत का अवसर नहीं दिया। मौके पर फसल नहीं होते हुए भी फसल का अनुचित तथ्य दर्ज करते हुए आदेश बेदखली त्रुटिपूर्वक पारित किया है। जिससे आदेश जैर अपील निरस्त किया जाकर पुनः राजस्व टीम से स्थायी मुटाम से पेमाईश करवा कर तथाकथित रास्ते जो केवल नक्शा मे है, के दोनो सीमाओ का ज्ञान कर तत्पश्चात पुनः जवाब व साक्षीगण के बयान लिये जाकर गैरसायल/अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

{2}(IV)-खसरा नं. 1529 की सीमा पर गैर सायल के खातेदारी के खेत मे गैर सायल हिन्दू परिवार के सदस्य सम्मिलित काबिज सहखातेदार है व गैरसायल/अपीलान्ट के अलावा अन्य सहखातेदार है। जिनके कब्जे बाबत पृथक से नोटिस नहीं दिया, पडोसी खसरान जिस पर गैर सायल अन्य सहखातेदारान के साथ काबिज है। नोटिस त्रुटिपूर्वक होने से आदेश बेदखली निरस्तनीय है।

{2}(V)-गत सैकड़ो सालो से कब्जे काश्त बाबत मौजूदा प्रकरण से पूर्व कभी कोई गेर सायल के कब्जा काश्त होते हुए अतिक्रमण दर्ज नहीं किया। जिस कारण राजस्व नक्शे के गलत इन्द्राज की अपीलान्ट व अन्य काबिज व्यक्तियों को जानकारी नहीं हुई। वर्तमान प्रकरण मे राजस्व नक्शा त्रुटिपूर्वक है। जिसे



  
अपर कलक्टर, नागौर

दुरुस्त करने हेतु गैर सायल सक्षम न्यायालय में वाद व कार्यवाही करने हेतु तथा खसरा नं. 1529 रकबा 1.40 हैक्ट. की किस्म त्रुटिपूर्वक रास्ता दर्ज की है। जिसे रास्ता की बजाय काबिल काश्त करने के लिये भी अपीलांट पृथक से कार्यवाही करेगा। मगर वर्तमान प्रकरण में बेदखली की कार्यवाही आदेश विधि विरुद्ध होने से आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।


{3}-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा डोडियाना में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के पिता को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके डोडियाना के खसरा नंबर 1529 गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता राजकीय भूमि होना अभिलेख से स्पष्ट है तथा इस रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण / कब्जा अपीलांट का नहीं हो, ऐसा अपीलांट द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है, वरन् भू प्रबन्ध के दौरान गलत नक्शा बनने को आधार लिया गया है। जिस हेतु इस न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। उक्त रास्ता भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(मनोज कुमार )  
अपर कलक्टर,  
नागौर